# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद        संख्या 60        वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री महेश ओड़ाईत एवं अन्य,
ग्रा० - नीमडीह, पं० नीमडीह, प्रखण्ड-टोन्टो,
प०सिंहभूम।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, प०सिंहभूम।
DGRO, प०सिंहभूम।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|

शिकायतकर्ता श्री महेश खन्डाईत एवं अन्य, ग्राम–नीमडीह, पंचायत–नीमडीह, प्रखण्ड–टोन्टो, जिला–पश्चिमी सिंहभूम का शिकायत–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवाद–पत्र में परिवादी द्वारा निम्न शिकायत की गयी है:–

1. राशन डीलर एटे तुरतुंग महिला मण्डल द्वारा माह जनवरी, मार्च एवं मई 2022 का PMGKAY का अनाज नहीं दिया गया है।
2. माह सितम्बर 2021 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दोनों प्रकार का अनाज वितरण नहीं किया गया है।

साथ ही शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उक्त मामले में दिनांक–27.06.2022 को DGRO के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी। किन्तु DGRO द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। साथ ही चूँकि DGRO द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का उल्लेख शिकायत–पत्र में है।

अतः DGRO को भी पक्षकार बनाया जाय। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.10.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.10.2022 अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
| --- | --- | --- |
| | अपरिहार्य कारणों से दिनांक–11.10.2022 कौ होने वाली वाद सं0–60/2022 के मामले से संबंधित सुनवाई स्थगित की गई। उक्त मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–25.11.2022 को निर्धारित की जाती है।<br><br>18.10.22<br><br>अपरिहार्य कारणों से दि0 25.11.2022 को होने वाली वाद–60/2022 की सुनवाई दि0 02.12.2022 को निर्धारित की जाती है। | |

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 84

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | वाद संख्या–60 / 2022 | |
| 02.12.2022 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से मात्र सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। DGRO एवं DSO अनुपस्थित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई।<br><br>आज की सुनवाई में उपस्थित सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्री फिलिप्स आनंद कुमार एक्का का कहना है कि सुनवाई के दिन अचानक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के घर कुछ पारिवारिक कारणों से वे छुट्टी पर चले गये। आयोग सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा छुट्टी पर जाने से सम्बन्धित आवेदन की प्रति आयोग को भेजें।<br><br>सुनवाई के दौरान सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और इस आशय की लिखित जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा दी गई है। आयोग सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में शिकायत वापस लेने की लिखित प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराया जाय। आयोग इस आशय का भी निर्देश देता है कि आयोग को इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित किया जाय कि शिकायतकर्ता को शिकायत से कितने दिन पूर्व राशन नहीं मिला अथवा कम मिला। जितने दिनों तक राशन नहीं मिला अथवा कम मिला, इस अवधि का सवा गुणा अनाज मुआवजा के रूप में उपलब्ध कराना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का प्रावधान है, इसका प्रमाण भी आयोग को उपलब्ध कराया जाय।<br><br>DGRO एवं DSO, पश्चिमी सिंहभूम सूचना दिये जाने के बाद भी निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने का लिखित कारण अगली तिथि से पूर्व उपलब्ध कराये। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को अनुपालनार्थ भेजें।<br><br>अभिलेख दिनांक–28.12.2022 को उपस्थापित करें।<br><br>(शबनम परवीन)<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>(हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx31 | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 28.12.2022 | वाद संख्या–60 / 2022<br><br>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई।<br><br>आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन का प्रमाण आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, जो सुनवाई में उपस्थित हैं, उन्हें निर्देश देता है कि भविष्य में किसी शिकायत का मात्र निदान कर देना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अनुकूल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि लाभुकों को समय पर अनाज उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो जितने दिनों के बाद उन्हें पुनः अनाज उपलब्ध कराया गया, इस काल–खण्ड के दौरान का अनाज का सवा गुणा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का कहना है कि इस वाद में आयोग के इस आशय का अनुपालन कर दिया गया है।<br><br>आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि भविष्य में भी इस बात को सुनिश्चित करें कि शिकायत दूर करने के साथ–साथ शिकायतकर्ता को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराया जाय। आयोग के पिछले निर्देश का प्रमाण उपलब्ध करा दिये जाने के पश्चात् इस वाद को निष्पादित किया जाता है।<br><br>(शबनम परवीन)<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>(हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx33 | |